**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4658**

**उत्तर देने की तारीख 31.03.2022**

**पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह**

4658. **डॉ. सुकान्त मजूमदारः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में एमएसएमई क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कामकाज का जिले-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में उक्त स्वयं सहायता समूहों पर सूक्ष्म वित्त के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में एमएसएमई क्षेत्र में एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में एसएचजी की प्रगति की क्या स्थिति है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)**

(क) से (घ) एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा देश में स्वरोजगार रोजगार अवसरों का सृजन करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

18 वर्ष की उम्र से अधिक और स्व-सहायता समूहों का कोई भी व्यक्ति पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता का पात्र है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, स्व-सहायता समूहों सहित सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। विशेष श्रेणियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रू. है और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रू. है।

पीएमईजीपी स्थानीय सरकार/प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित कार्यकलापों और मांस, मादक पदार्थ और शराब से संबंधित कार्यकलापों के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योग परियोजना सहित सभी नए साध्य सूक्ष्म उद्यमों पर लागू है।

उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों सहित पश्चिम बंगाल में विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की जिले-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें स्व-सहायता समूहों को जीवीवाई के निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत औजार और उपकरण एवं सदस्यों के प्रशिक्षण के द्वारा सहायता भी दी जाती हैः

1. **हनी मिशनः** हनी मिशन के अंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी को जीवित मधुमक्खी कॉलोनी के साथ 10 मधुमक्खी डिब्बे और आवश्यक टूल किट प्रदान किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विगत तीन वर्षों के दौरान हनी मिशन के अंतर्गत 42 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है।
2. **कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम (पॉटरी कार्यक्रम):** कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, पॉटरी कारीगरों को इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हीलों और अन्य उपकरण आदि का वितरण किया जाता है। साथ ही कारीगरों/लाभार्थियों को 10 दिनों का अपेक्षित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक स्व-सहायता समूहों के 20 कारीगरों में 20 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और 02 बलंगर प्रदान किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में विगत तीन वर्षों के दौरान कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 24 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है।

इसके अलावा, आज की तारीख की स्थिति के अनुसार, स्व-सहायता समूह संवर्धन संस्थान (एसएचपीआई) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पश्चिम बंगाल में 32810 स्व-सहायता समूहों को सहायता प्रदान की है। उत्तर दिनाजपुर जिले में 623 स्व-सहायता समूहों को सहायता दी गई और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में 1011 स्व-सहायता समूहों को सहायता दी गई।

*****

**अनुबंध**

## दिनांक 31.03.2022 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं 4658 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उललखित अनुबंध

**पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई जिलावार पीएमईजीपी सहायता**

( स्वयं सहायता समूह परियोजना और अनुमानित रोजगार संख्या में और मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी लाख रुपये में )

| क्र. सं. | जिलों के नाम | 2016-17 | | | 2017-18 | | | 2018-19 | | | 2019-20 | | | 2020-21 | | | 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परियोजनाओं | एमएम (रु. में) | रोजगार | परियोजनाओं | एमएम (रु. में) | रोजगार | परियोजनाओं | एमएम (रु. में) | रोजगार | परियोजनाओं | एमएम (रु. में) | रोजगार | परियोजनाओं | एमएम (रु. में) | रोजगार | परियोजनाओं | एमएम (रु. में) | रोजगार |
| | **पश्चिम बंगाल** | **47** | **64.36** | **376** | **3** | **11.38** | **24** | **0** | **0.00** | **0** | **9** | **17.54** | **72** | **1** | **1.75** | **8** | **0** | **0.00** | **0** |
| 1 | अलीपुरद्वार | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 2 | बांकुड़ा | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 3 | बर्धवान | 1 | 0.81 | **5** | 1 | 0.50 | **8** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 4 | बीरभूम | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 5 | कूचबिहार | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 6 | दार्जिलिंग | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 7 | हुगली | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 8 | हावड़ा | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 9 | जलपाईगुड़ी | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 10 | झारग्राम | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 1 1 | कोलकाता | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 12 | कलिम्पोंग | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 13 | मालदाह | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 14 | मेदिनीपुर पूर्व | 9 | 17.09 | **71** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 7 | 9.84 | **56** | 1 | 1.75 | **8** | 0 | 0.00 | **0** |
| 15 | मुर्शिदाबाद | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 16 | नादिया | 0 | 0.00 | **0** | 1 | 7.42 | **8** | 0 | 0.00 | **0** | 2 | 7.70 | **16** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 17 | **उत्तर दिनाजपुर** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** |
| 18 | उत्तर चौबीस परगना | 0 | 0.00 | **0** | 1 | 3.46 | **8** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 19 | पश्चिम बर्दवान | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 20 | पश्चिम मेदिनीपुर | 37 | 45.31 | **296** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 21 | पुरुलिया | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |
| 22 | **दक्षिण दिनाजपुर** | **1** | **1.16** | **5** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0** |
| 23 | दक्षिण चौबीस परगना | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** | 0 | 0.00 | **0** |